7

संख्या : 961 / II–2008–17(02)/03

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग दिनांक : देहरादून 25 मार्च 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में निष्प्रयोज्य वाहन का प्रतिस्थापन

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5705/मु0अ0/सि0वि0/कार्मिक बी–1 दिनांक 15.12.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई खण्ड देहरादून की जीप संख्या यू0पी0–07 1032 को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप उसके प्रतिस्थापन के उपरान्त निष्प्रयोज्यता की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर वाहन की नीलामी के बाद अर्जित धनराशि राजकोष में जमा करने के उपरान्त 01 नया वाहन BOLERO/LX-DI/2WD7STR PS.BH-II क्रय किये जाने हेतु रू0 4,48,000.00 की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत 03–निदेशन में उपलब्ध बचतों से एवं रू0 413.00 संगत मद से कुल रू0 4,48,413.00 (चार लाख अड़तालीस हजार चार सौ तेरह मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र. स.	नियंत्रक अधिकारी का नाम	पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या	प्रतिस्थापन में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित वाहन का प्रकार	वाहन का मूल्य
1.	सिंचाई खण्ड, देहरादून	यू0पी0–07 1032	BOLERO/LX-DI/2WD7STR PS.BH-II	4,48,413.00

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन होगी

1. वाहन का क्रय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाए एवं उसी प्रकार के वाहन का क्रय किया जाए जिस प्रकार के वाहन को निष्प्रयोज्य किया गया है ।
2. वाहन डी0जी0एस एण्ड डी0 की लागत पर क्रय किया जायेगा ।
3. उक्त लागत में एसेसरीज हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी ।
4. धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए की वाहन को नीलाम कर उससे प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है ।

............2

C:\Documents and Settings\Bhupendra Kumar\My Documents\R.K. Semwal\YEAR 2007-08\DO General vol.wpt.doc page 1

5. स्वीकृत वाहन उसी अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा जिसे पूर्व में वाहन अनुमान्य हो और जिसका वाहन प्रतिस्थापन किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक 2700 मुख्य सिंचाई, 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–कार्यकारी अधिष्ठान, 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/ मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक 354/XXVII(2)/07 दिनांक 25.03.08 में उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या : 961/II–2008–17(02)/03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
2. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड ।
3. कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
5. गार्ड फाईल ।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

प्रपत्र–बी0एम–15

संलग्नक–1

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2007–08 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशन 00– 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय 986	380	—	606(क)	2700–मुख्य सिंचाई, 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान 00– 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय 448 (ख)	3562	538	(क) वाहन के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव परिपक्व न होने के कारण बचतें उपलब्ध हैं। (ख) निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु बजट व्यवस्था कम होने के कारण
योग 986	380	—	606	448	3562	538	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं0–.../(क)/XXVII(2)/2008
देहरादून दिनांक मार्च 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत
25/3/08
(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 961 /II–2008–17(02)/2003 दिनांक 25/3/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्त अनुभाग–2।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।